संख्या : 13/2025/640/94-1-2025-312(108)/2023

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 29 मार्च, 2025**

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय त्रैमासान्त (माह अक्टूबर, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक) व चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2025 से फरवरी, 2025 तक) हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1207/शि०का०लख०/बजट-2प्रतिशत-42/2024-25 दिनांक 29.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान सं०-91 राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 800-अन्य व्यय, 03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों, डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड तथा विकास प्राधिकरणों एवं उ०प्र० आवास विकास परिषद् को अन्तरण हेतु 42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू० 30,23,63,62,000/- (रुपये तीस अरब तेईस करोड़ तिरसठ लाख बासठ हज़ार मात्र) में अवशेष धनराशि रू० 9,12,69,12,529/- में से धनराशि रू० 3,00,00,00,000.00 (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं०-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 व स्टाम्प एवं निबन्धन अनु०-1 के शासनादेश संख्या-16/2024/1356/94-1-2024-312(35)/2023 दिनाँक 03 सितम्बर, 2024 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-10/2025/618/94-1-2025-312(35)/2023 दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि के वितरण में पारदर्शिता व समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्राधिकरणों, नगरीय निकायों आदि को देय धनराशि का सत्यापन विभाग के सक्षम अधिकारियों से कराने के उपरान्त विभाग द्वारा धनराशि का वितरण मुख्यालय स्तर से केन्द्रीकृत रूप से किया जायेगा।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण की सूचना वाउचर संख्या व दिनांक सहित स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की नियमित समीक्षा की जाएगी।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के ''अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 800-अन्य व्यय, 03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों, डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड तथा विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ०प्र० आवास विकास परिषद् को अन्तरण हेतु 42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।